# आरटीआई अधिनियम 2005 का खंड 4 (1)(ग)

## जनसाधारण को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण करते या निर्णयों की घोषणा करते समय संगत तथ्य

"शून्य"